



2026:AHC: 128382

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19657/2026

इमरान

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: मदन सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 46

माननीय न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को विचारण के लंबित रहने के दौरान मुकदमा अपराध संख्या 192 वर्ष 2026, बी.एन.एस. की धारा 103(1), 351(3), 333, 61(2) और 3(5), थाना मझोला, जिला मुरादाबाद में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक सहित सभी पांच नामजद अभियुक्तों को सामान्य भूमिका सौंपी गई है, हालांकि, बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में प्रथम सूचनादाता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गोली चलने की आवाज सुनकर, वह बाहर भागा और उसने एक व्यक्ति को देसी पिस्तौल (तमंचा) से लैस और तीन अन्य अभियुक्तों को घटना स्थल से भागते हुए देखा और इसके अलावा, आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने पुलिस के समक्ष कहा कि उसने मृतक की हत्या की है और उसकी निशानदेही पर एक देसी पिस्तौल भी बरामद की गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि सह-अभियुक्त शनिब सैफी को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 16402 वर्ष 2026 (शनिब सैफी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित आदेश दिनांक 05.06.2026 के माध्यम से जमानत प्रदान किया जा चुका है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 25.2.2026 से कारागार में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाहियों में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक एफ.आई.आर. में नामजद है और आवेदक सहित सभी अभियुक्तों को सामान्य भूमिका सौंपी गई है। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक को आग्नेयास्त्र का एक प्रवेश और एक निकास घाव लगा है और उसकी मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व आग्नेयास्त्र की चोट दर्शाया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. एफ.आई.आर. के अनुसार, आवेदक और चार अन्य अभियुक्तों द्वारा प्रथम सूचनादाता पक्ष पर गोली चलाने की बात कही गई है, जिसके परिणामस्वरूप, श्रीमती नन्ही नामक एक महिला को आग्नेयास्त्र का एक प्रवेश और एक निकास घाव लगा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि, प्रथम सूचनादाता ने, बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में आवेदक सहित किसी भी अभियुक्त की पहचान नहीं किया है और उसके द्वारा यह कहा गया है कि गोली चलने की आवाज सुनकर, वह बाहर भागा और उसने एक व्यक्ति को देसी पिस्तौल से लैस और तीन अन्य व्यक्तियों को घटना स्थल से भागते हुए देखा। इसके अतिरिक्त, आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य नहीं है। विवेचना के दौरान, सह-अभियुक्त बिट्टू को गिरफ्तार किया गया है और उसने मृतका की हत्या करना कबूल किया है और उसकी निशानदेही पर एक देसी पिस्तौल भी बरामद की गई है। प्रकरण में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 25.2.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

6. वाद के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रस्तुतीकरणों और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा भीड़भाड़ वाली जेलों और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित रहने को संज्ञान में लेते हुए, साथ ही 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038 में प्रतिवेदित कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधिदेश के साथ-साथ जमानत प्रदान करने के संबंध में 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन इला 6765 में प्रतिवेदित माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में इस न्यायालय के दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. पूर्वोक्त अपराध में शामिल आवेदक इमरान को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन 1,00,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि में दो प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक बिना कोई स्थगन मांगे निष्ठापूर्वक से विचारण/विवेचना में सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध के कारित करने में लिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाना चाहिए। आवेदक के साथ-साथ प्रतिभूओं के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. यह आगे निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित कारागार को रिहाई आदेश भेजेगा।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 31.01.2023 के आदेश, (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रतिवेदित 'जमानत प्रदान करने हेतु नीति रणनीति, संदर्भ में: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 4 वर्ष 2021' के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से संबंधित कारागार अधीक्षक के माध्यम से आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

19 जून, 2026

वीएस

(न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”